न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 184/2016/दावा

1. विमला पारीक पत्नी जयप्रकाश
2. उपमा पारीक पत्नी सुभाषचन्द

जाति पारीक निवासीगण ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
—वादियागण

ब ना म

1. रिछपाल
2. बालूराम
3. घीसाराम
4. देवाराम
5. भंवरलाल

} पुत्रगण मुन्नाराम

समस्त व्यस्क जाति गुर्जर निवासीगण अखैपुरा तन धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

6. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत आदेशात्मक व्यादेश, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अं.धारा 111 व 128 राज. भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादियागण की ओर से
2. श्री कमल कुमार वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादियागण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमिया खसरा नं. 18 रकबा 1.37 है0 तन ग्राम अखैपुरा प.मं. धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो कि वादीयागण की जरिये ना.करण सं. 156 दिनांक 06.06.2014 को खातेदार राधेश्याम, मदनलाल, नंदकिशोर पुत्रगण गणपतलाल पारीक निवासीगण धींगपुर से खरीदशुदा है तथा खरीदने के समय से ही वादियागण बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चली आ रही है। वादियागण गृहणी महिलाएं है एवं अपने परिवार सहित अक्सरतः जयपुर में रहती है जो अपनी कृषि भूमियों को काश्त के लिए बांटे पर कभी किसी को कभी किसी को बताती रही है। वादियागण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि के चारों तरफ सींव नींव कायम है तथा वादियागण की उपरोक्त कृषि भूमि के दक्षिण साईड में सीमाजोड़ प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा भूमि खसरा नं. 21 ता 24 तन ग्राम अखैपुरा पं.मं. धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमियां है। पिछले एक साल से वादियागण स्वयं ने अपनी उपरोक्त कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा भूमि ख.नं. 18 की कोई सार संभाल नहीं की व न ही जयपुर से यहां ग्राम अखैपुरा आकर भूमि की सींव नींव बाबत ही

ण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

ध्यान दिया जिसका प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 जो कि बहुत ही बदमाश प्रवृति के झगडालू व मुकदमेंबाज व्यक्ति है, इन्होंने वादियागण की भूमि को हड़पने की भावना रखते हुए वादियागण की उक्त खसरा नं. 18 के दक्षिण की तरफ त्रिकोणनुमा हिस्से पर कब्जा कर अपनी भूमि में मिला लिया है जिसकी जानकारी आज से करीब 15 रोज पूर्व जब वादियागण दीपावली के त्यौहार पर अपने ग्राम धींगपुर आई व अपनी भूमि को सार संभाल करने के लिए गई तब हुई तो इसके पश्चात् वादियागण राजस्व रिकार्ड का नक्शा व नकल जमाबंदी निकलवाई एवं अविलम्ब वाद पेश किया जाना लाजिम हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीयागण ने तहसीलदार, दांतारामगढ के यहां सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी लाडपुर द्वारा मौका देखा जाकर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2016 को तैयार की गई है जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का अतिक्रमण/अवैध कब्जा स्पष्ट साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा बाला बाला वादियागण की कृषि भूमि खसरा नं. 18 तन अखैपुरा पर पुख्ता कब्जा साबित करने के लिए मौके पर निर्माण कार्य करने की कोशिश की जा रही है इससे वादियागण को पूरा अंदेशा हो गया कि प्रतिवादीगण की नीयत खराब हो गयी है तथा वादियागण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियों पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। वादियागण एक गरीब परिवार की अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की भोली भाली पर्दानशीन महिलायें है जिनकी खातेदारी की भूमियों पर किसी को भी अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने तो यहां तक धमी दी है कि वे वादियागण की कृषि भूमियों में पुख्ता निर्माण करेंगे जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अतिक्रमी है इस कारण उन्हें अतिशीघ्र बेदखल किया जाना न्याय का तकाजा है ताकि वादियागण की कृषि भूमियों से होने वाली आय से वादियागण के परिवार का सुचारू रूप से जीवन निर्वाह हो सकें एवं पारिवारिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकें। वादियागण कृषि भूमियों की तन्हा रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को कृषि भूमियां पर पुख्ता निर्माण करने तथा वादियागण के काश्त करने में बाधा पहुंचाने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। अर्सा करीब 15 रोज पूर्व वादियागण द्वारा दिनांक 05.11.2016 को ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के सामने प्रतिवादीगण को अतिक्रमण हटवाने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण ने एलानियां धमकी दी कि हम हमारा कब्जा नहीं हटायेंगे व निर्माण कार्य कर मौके पर संपूर्ण भूमि पर ही कब्जा करेंगे तब वाद कारण उत्पन्न होकर वाद पेश किया जाना लाजिम हुआ है। राज्य सरकार भूमिधारी है इस कारण जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार पक्षकार नियोजित किये गये है। राज्य सरकार पर वाद नियोजन से पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु दावा आवश्यक नेचर का होने के कारण बिना विधिक नोटिस दिये दावा पेश किया जा रहा है जिसकी अनुमति हेतु पृथक से आवेदन धारा 80 (2) सीपीसी पेश किया जा रहा है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि दावा वादियागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादियागण की खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 18 रकबा 1.37 है0 वाके ग्राम अखैपुरा प.मं. धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर से प्रतिवादीगण को जरिये आदेशात्मक व्यादेश बेदखल किया जाकर कब्जा वादियागण को दिलवाया जावें। प्रतिवादीगण को जरि स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे स्वयं तथा अन्यों के जरिये वादियागण की कृषि भूमि ख.नं. 18 रकबा 1.37 है0 वाके ग्राम अखैपुरा प.मं. धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में या इसके किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें व वादियागण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से वकील श्री कमल कुमार ने वकालतनामा पेश किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब पेश नहीं कर वकील वादियागण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने आवेदन पेश कर अनुरोध किया कि कि वादियागण व प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमियां खसरा नं. 18 रकबा 1.37 है. वाके अखैपुरा प.मं. धींगपुर व ख.नं. 21 ता 24 वाके ग्राम अखैपुरा की पत्थरगढी करवाने हेतु सहमत है।

3. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुई। वकील वादीयागण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम अखैपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2070–73 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नं. 18 रकबा 1.37 की खातेदारी वादियागण की है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जो भूमि खसरा नं. 21 ता 24 के खातेदार काश्तकार है। वकील वादियागण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 आपसी रजामंदी से उपरोक्त विवादित भूमियों की पत्थरगढी किये जाने हेत सहमत है। अतः विवादित भूमियों खसरा नं. 18 व 21 ता 24 वाके ग्राम अखैपुरा प.मं. धीगपुर दांतारामगढ जिला सीकर की पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजियात की पत्थरगढी की जावें। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में मेरे द्वारा लिखाय जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner